न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 217–एक/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–10–2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इन्दौर अपील प्रकरण कमांक 299/92–93 .

कड़वासिंह पिता मांगीलाल
निवासी खलबुर्जग
तहसील धरमपुरी जिला धार .....अपीलार्थी

विरूद्ध

1– भारतसिंह पिता चुन्नीलाल
2– नरसिंह पिता सदु मृतक
तर्फे रामरतन पिता नरसिंह
निवासीगण सदर .....प्रत्यर्थीगण

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अपीलार्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/10/11 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–10–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी कमांक 1 द्वारा खलबुर्जुग स्थित भूमि सर्वे कमांक 102/1/2 रकबा 0.505 हेक्टेयर अपीलार्थी से कय की गई । कलेक्टर, धार द्वारा दिनांक 14–9–1984 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 165 के विपरीत विकय पत्र होने से शून्य घोषित किया गया । तत्पश्चात प्रत्यर्थी कमांक 1 द्वारा कलेक्टर के समक्ष आदेश दिनांक 16–9–1984 को पुनर्विलोकन में लेकर निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा राजस्व मण्डल से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त की जाकर दिनांक 16–4–91 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का किया गया अंतरण शून्य घोषित किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23–10–2002 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया ।

अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी कमांक 1 द्वारा संहिता की धारा 165 के उल्लंघन में प्रश्नाधीन भूमि कय की गई थी, इसलिए उसे शून्य घोषित करने में कलेक्टर द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है कि अपीलार्थी को प्रश्नाधीन भूमि विकय करने का अधिकार नहीं था, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी नरसिंह था, और तत्समय नरसिंह का नाम भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी, जबकि भूमि का विकय आवेदक द्वारा किया गया है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में निष्पादित विकय पत्र को शून्य घोषित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अपर आयुक्त द्वारा बिना तथ्यों एवं अवैधानिक प्रावधानों पर विचार किये आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करते हुए कलेक्टर के आदेश की पुष्टि की जाकर तहसीलदार को निर्देश दिया जाये कि तहसीलदार यह देखें कि मूल भूमिस्वामी नरसिंह के नाम ही प्रश्नाधीन भूमि दर्ज की जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–10–2002 निरस्त जाकर कलेक्टर, जिला द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–4–91 स्थिर रखा जाता है । प्रकरण तहसीलदार को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर